<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 6/14/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 21 दिसंबर, 2022

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

<u>मामला संख्याः ए डी (ओआई) -14/2022</u>

विषय: दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पैरा-टेरशियरी बुटाइल फेनोल (पीटीबीपी)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (वीओएल) (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से "पैरा-टेरशियरी बुटाइल फेनोल **(पीटीबीपी)"** (जिसे आगे **"**संबद्ध वस्तु**"** या **"**विचाराधीन उत्पाद**"** भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया गया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी "पैरा-टेरशियरी बुटाइल फेनोल या (पीटीबीपी)" है । पीटीबीपी को 4 टर्ट बुटाइल फेनोल/पी टर्ट बुटाइलफेनोल/पीटीबीपी कैमिकल/पैरा टर्ट बुटाइल फेनोल के रूप में जाना जाता है ।

4. विचाराधीन उत्पाद एक कार्बनिक सुगंधित यौगिक है जिसका रासायनिक फार्मूला ($C_{10}H_{14}O$) है । यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है और इसकी एक अलग फेनोलिक गंध होती है । पीटीबीपी रसायन आमतौर पर फिनोल और आइसोब्यूटिलीन की प्रतिक्रिया से तैयार होता है।

5. पीटीबीपी को फेनोल में आइसोमर ब्यूटेनस से गैसीय को प्रेरक के रूप में एसिड एक्टिवेटेड क्लेय को मिलाकर तैयार किया जाता है । इस उत्पाद को मुख्यत: परफ्यूम की कच्ची सामग्री पेरा टेरशियरी बुटाइल साइक्लो हेक्साइल एसीटेट (पी टी बी सी एच ए) के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है । इसे इपोक्सी, पॉलीकार्बोनेट रेजिन और फेनोलिक रेजिन सहित अनेक रेजिनों के विनिर्माण में भी प्रयोग किया जाता है ।

6. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है । पीटीबीपी को सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 2907 1940 के तहत वर्गीकृत किया जाता है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु की गुणवत्ता, उत्पादन और कार्य निष्पादन में कोई अंतर नहीं है । आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, कार्य प्रयोग आदि जैसे सभी संगत मापदंडों में तुलनीय हैं। घरेलू रूप से उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद को भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है ।

8. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदक और संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया में कोई खास ज्ञात अंतर नहीं है । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ

प्राधिकारी भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" मानते हैं ।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

9. यह याचिका विनाती आर्गेनिक्स लिमिटेड (वी ओ एल) द्वारा दायर की गई है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और बाजार में एक नया प्रवेशक है जिसने जुलाई, 2020 में संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है । इस प्रकार, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक का उत्पादन भारतीय घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है । आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह उसके किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है । अत: प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मापदंडों को पूरा करता है ।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

10. यह आवेदन दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए) से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में किया गया है ।

ङ. <u>कथित पाटन का आधार</u>

<u>दक्षिण कोरिया तथा यू एस ए में सामान्य मूल्य</u>

11. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दक्षिण कोरिया तथा यू एस ए के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना/ साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए गए थे । यूएसए में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की मूल्य सूची या कोटेशन प्राप्त करने के भी प्रयास किए गए थे। डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से एकत्र नहीं किया जा सका । तथापि, याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा यूएसए को किए गए निर्यातों पर विचार किया है । याचिकाकर्ता ने इन देशों में घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत कीमत का निर्धारण उस कीमत का उपयोग करके किया है जिस पर उपभोक्ता ने

इन देशों को आवेदक द्वारा किए गए निर्यात के आधार पर अंतिम खपत के लिए याचिकाकर्ता से उत्पाद खरीदा है।

<u>सिंगापुर में सामान्य मूल्य</u>

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने अन्य देशों से सिंगापुर में आयातों संबंधी सूचना एकत्रित की है । यह देखा गया है कि सिंगापुर संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात कर रहा है । सिंगापुर में संबद्ध वस्तु के आयात सिंगापुर से घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की खपत कीमत भी है और इसलिए उसे सिंगापुर में प्रचलित सामान्य मूल्य माना जा सकता है । याचिकाकर्ता ने पीयूसी के लिए सामान्य मूल्य के रूप में सिंगापुर में आयात की औसत कीमत पर विचार किया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

13. याचिकाकर्ता ने समर्पित वर्गीकरण के अंतर्गत सूचित आयातों के लिए प्रकाशित डी जी सी आई एस आंकड़ों से अपनाई गई प्रस्तावित जांच अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है । शुद्ध निर्यात मूल्य निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा व्यय, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क के कारण मूल्य समायोजन की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई शुद्ध निर्यात कीमतों के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

<u>पाटन मार्जिन</u>

14. सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत की तुलना की गई है, जो प्रत्येक संबद्ध देश से भारी पाटन दर्शाती है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है

15. पाटनरोधी जांच की शुरूआत को सही ठहराते हुए भारी पाटन मार्जिन का पर्याप्त साक्ष्य है ।

च. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य</u>

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है । देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा काफी कम है और यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2020 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है । आवेदक ने दावा किया है कि पी ओ आई के दौरान उनका वास्तविक कार्य निष्पादन परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित मात्रा से काफी कम है । इसके अलावा, संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान विशेष रूप से जब पी यू सी की आयात कीमत में वृद्धि कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि के अनुपातिक नहीं थी, कीमत कटौती की मौजूदगी प्रथम दृष्टया आवेदक के खराब कार्य निष्पादन के साथ कथित पाटित आयातों के कारणात्मक संबंध को सिद्ध करती है ।

17. पूर्वोक्त से प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार ऐसी पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं जिससे कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

छ. <u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>

18. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबंध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी

राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए एतदद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि

19. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 (12 माह) की है । क्षति जांच अवधि 2019-20, 2020-21, 2021-22 और पी ओ आई होगी ।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल से भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत कर सकता है।

ञ. समय-सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति jd16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य

दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली, के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार के लिए नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

29. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के सात (7) दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे की टिप्पणी कर सकते हैं ।

32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. **<u>उत्तर/अनुरोधों को हिमतबद्ध पक्षकारों के बीच साझा करना</u>**

35. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वैबसाइट पर लोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी ।

ड. **<u>असहयोग</u>**

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी